

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग


क्रमांक:-प.3(55)नवि/3/2002

जयपुर, दिनांक:- 26.09.2015

अधिसूचना


इस विभाग द्वारा राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक, चेरीटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन के संबंध में पूर्व में जारी नीति दिनांक 19.4.2011 को अधिक्रमित करते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 90, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा 49, अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 85, राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा 60, राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959 की धारा 43, 60 सपाटित धारा 74, राजस्थान नगर पालिका, अधिनियम, 2009 की धारा 337, राजस्थान सुधार न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम 1974 के नियम 31 एवं राजस्थान नगर पालिका (भूमि निष्पादन) नियम 1974 के नियम 32 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा "राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति-2015 (Policy for allotment of land for different objects in urban areas of Rajasthan-2015)" अधिसूचित करती है।
उक्त नीति के संबंध में विस्तृत विवरण संलग्न अनुसार है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव (प्रथम), माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
14. आयुक्त, अजमेर/जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण।
15. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
16. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
17. वरिष्ठ नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
18. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को उक्त अधिसूचना विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
19. सचिव, अजमेर/जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण।
20. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
21. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)।
22. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया इस अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कर अंक की 1 प्रति इस विभाग को भेजने की व्यवस्था करें।
23. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय